न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर

पीठासीन अधिकारी :– श्री मुनिदेव यादव, आर. ए. एस.

अपील संख्या :– 30/18(223 आरटीए)
आरसीएमएस संख्या :–2018/00147

उनवान

1. वैजनाथ पुत्र श्री गंगाधर
2. हरिओम
3. लक्ष्मीनारायण } पिस0 वैजनाथ
4. भूदेव
5. देवकीनन्दन

} जाति ब्राहम्ण निवासी ग्राम नहचौली तहसील बसेडी जिला धौलपुर।

.....अपीलांट।

बनाम

1. विजेन्द्र पुत्र बुद्धा
2. रामखिलाडी
3. गिर्राज } पुत्रगण बुद्धा
4. राजू
5. शिव सिंह पुत्र गंगाधर
6. राधेश्याम पुत्र गंगाधर
7. बुद्धाराम
8. भगवानप्रसाद } पुत्र रामदयाल
9. भगवानस्वरूप
10. रामअवतार

} जाति ब्राहम्ण निवासी नहचौली तहसील बसेडी जिला धौलपुर।

11. रतीगिरि पुत्र परसराम जाति गुसाई निवासी नहचौली तहसील बसेडी जिला धौलपुर।
12. ताराचन्द गोयल पुत्र श्री जगन्नाथ प्रसाद गोयल जाति वैश्य निवासी लुहार बाजार बाडी तहसील बाडी जिला धौलपुर।

.....असल रेस्पोंडेंट ।

13. प्रबन्धक स्टेट बैंक आफ बीकानेर एण्ड जयपुर शाखा बसेडी।
14. प्रबन्धक पंजाब नेशनल बैंक शाखा नादनपुर तहसील बसेडी।
15. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बसेडी।

.....तरतीवी रेस्पोंडेंट ।

भू प्रबन्ध अधिकारी
पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

अपील अन्तर्गत धारा 223 विरूद्ध निर्णय व डिक्री न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बसेडी दिनांक 22.06.2018 प्र.सं 73/13 उनवानी वैजनाथ बनाम विजेन्द्र।

अभिभाषकगण :–

1. वकील अपीलाण्ट श्री चन्द्रमोहन गुप्ता उपस्थित।
2. वकील रैस्पो0 श्री शशि बंसल अनुपस्थित।

निर्णय दिनांक–21.05.2024

1. यह अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बसेडी के निर्णय दिनांक 22.06.2018 के विरूद्ध पेश की गई है। प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि वादी/अपीलाण्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में एक दावा अन्तर्गत धारा 53 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम विरूद्ध प्रतिवादी/रैस्पो0 प्रस्तुत करते हुये, कथन किया कि विवादित आराजी के पक्षकारान संयुक्त रूप से राजस्व रिकार्ड में दर्ज हिस्से अनुसार खातेदार काश्तकार हैं। विवादित आराजी का अभी विधिवत विभाजन नहीं हुआ है। अतः फसल को लेकर आये दिन पक्षकारान में झगडा हो जाता है। अतः विवादित आराजी का बाई मीट्स एण्ड बाउण्ड विभांजन किये जाने का अनुतोष चाहा। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर, बाद सुनवाई अपीलाधीन आदेश से प्राथमिक डिक्री पारित करते हुये तहसीलदार से विभाजन प्रस्ताव तलव करते हुये प्राप्त विभाजन प्रस्तावो के आधार पर अपीलाधीन आदेश से अंतिम डिक्री कर दिया। जिससे व्यथित होकर वादी/अपीलाण्ट ने यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गयी है।

2. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोंडेंट एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली को तलब किया गया। बार बार आवाज दिलवाये जाने पर भी ना तो रैस्पो0 एंव ना ही उनके अभिभाषक न्यायालय में उपस्थित आये। अतः उनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लायी जाकर, बहस अपीलाण्ट एक पक्षीय सुनी गयी।

3. विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने अपील मीमो के तथ्यो को दौहराते हुये तर्क प्रस्तुत किये कि अपीलाधीन आदेश खिलाफ कानून व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य के विपरीत होने के कारण काबिल निरस्तनीय है। यह है कि प्रकरण में विभाजन प्रस्ताव स्वयं तहसीलदार द्वारा नहीं बनाये जाकर पटवारी हल्का द्वारा तैयार किये गये हैं एवं विभाजन प्रस्ताव तैयार करते समय विभाजन के नियम 18–21 की पालना भी नहीं की गयी है। विवादित आराजी में से खसरा नम्बर 1525, 949 व 1311 स्टेट हाईवे नम्बर 43 जयपुर धौलपुर के सहारे हैं जिनमें से अपीलाण्ट को कोई हिस्सा ना देकर शालिम रकवा रैस्पो0 को दे दिया गया है। जबकि विभाजन प्रस्ताव भूमि की गुणवत्ता के आधार पर समान रूप से बॅटवारा करना

भू प्रबन्ध अधिकारी
पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

चाहिये था। इसके विपरीत खसरा नम्बर 2400 जो कि अच्छी आराजी नहीं है, का सम्पूर्ण हिस्सा अपीलाण्ट को दे दिया गया है एवं खसरा नम्बर 1550 व 2497 को विभाजन प्रस्ताव में शामिल ही नहीं किया गया है इसी प्रकार 0.9800 का कोई बँटवारा नहीं कर जमाबन्दी में बदस्तूर रहने का नोट विभाजन प्रस्ताव में अंकित हैं। विभाजन प्रस्ताव तैयार करते समय अपीलाण्ट को मौके पर पहुँचने की कोई सूचना अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नहीं दी गयी है। अंत में अपील अपीलाण्ट स्वीकार करते हुये एवं अपीलाधीन आदेश को निरस्त करते हुये, प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को पुनः सुनवाई हेतु प्रतिप्रेषित किये जाने का निवेदन किया।

4. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा बहस अपीलाण्ट पर मनन किया। विभाजन प्रस्तावो के अवलोकन से स्पष्ट है कि विभाजन प्रस्ताव स्वयं तहसीलदार द्वारा नहीं बनाये जाकर पटवारी हल्का द्वारा किये गये हैं। जबकि नियमानुसार विभाजन प्रस्ताव स्वयं तहसीलदार की उपस्थिति में बनाया जाना आज्ञापक है। विभाजन प्रस्ताव पर पटवारी हल्का द्वारा यह अंकित किया गया है कि "श्रीमान्‌जी विभाजन प्रस्तावो पर कोई भी खातेदार हस्ताक्षर नहीं कर रहा है" इससे स्पष्ट है कि उक्त विभाजन प्रस्तावो से पक्षकार सहमत नहीं थे एवं ना ही उनके द्वारा विभाजन प्रस्तावो पर हस्ताक्षर ही किये। फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने पक्षकारो को उक्त विभाजन प्रस्तावो पर आपत्ति प्रस्तुत करने का अवसर ना देते हुये, विभाजन प्रस्ताव प्राप्त होने की दिनांक को ही प्रकरण में अंतिम डिक्री पारित कर दी गयी। जबकि अधीनस्थ न्यायालय को चाहिये था कि वह विभाजन प्रस्तावो पर पक्षकारो को सुनवाई/आपत्ति प्रस्तुत करने का मौका देते। परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने ऐसा ना करते हुये राजस्व लोक अदालत की हडबडी में प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के खिलाफ अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया। इसके अलावा अपीलाधीन आदेश भी आर्डर शीट पर अत्यन्त सूक्ष्म लिखा हुआ है, जिसमें वाद का पूर्ण शीर्षक के अलावा कुरों का कोई विवरण नहीं है। इस तरह का अस्पष्ट, अपूर्ण आदेश स्थिर रहने योग्य नहीं है। हस्तगत अपील में अपीलाण्ट विवादित कुछ खसरा नम्बरो को स्टेट हाइवे के सहारे लगा होना एवं उक्त खसरा नम्बरो को रैस्पो0 के कुर्रे में देना भी कथन करते हैं। चूंकि दौराने बहस स्वयं रैस्पो0 एवं उनके अभिभाषक न्यायालय में उपस्थित नहीं हुये हैं। अतः उक्त तथ्य विस्तृत साक्ष्य विवेचना उपरान्त ही तय हो सकता है। उपरोक्त विवेचनानुसार हम हम अपील अपीलाण्ट आंशिक स्वीकार योग्य पाते हैं।

5. अतः आदेश है कि अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बसेडी के निर्णय दिनांक 22.06.2018 अपास्त किये जाकर प्रकरण उपरोक्त तथ्यो की पृष्ठभूमि में उभयपक्ष को साक्ष्य व सुनवाई का समुचित अवसर देते हुये एवं तहसीलदार की उपस्थिति में अच्छी में से अच्छी एवं बुरी से बुरी आराजी के पक्षकारान के मध्य विभाजन के नियम 18—21 की पूर्ण पालना करते हुये, विभाजन प्रस्ताव तैयार करावें एवं अधीनस्थ न्यायालय प्राप्त विभाजन प्रस्तावो पर उभयपक्ष को सुनवाई/आपत्ति का अवसर देते हुये, पुनः विधिअनुसार बोलता हुआ आदेश पारित करने हेतु प्रतिप्रेषित किया जाता है। पक्षकारान को भी निर्देशित किया जाता है कि वह अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 18.06.2024 को वास्ते सुनवाई उपस्थित होवें। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की

भू प्रबन्ध अधिकारी
पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

प्रति के साथ वापस लौटाया जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम की जावे तथा बाद जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

6. निर्णय आज दिनांक 21.05.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मुनिदेव यादव)
आर.ए.एस.
भू प्रबंध अधिकारी पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर